**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 4757

उत्तर देने की तारीख 23.03.2020

**निराश्रित बच्चों को शिक्षा**

**4757. श्रीमती पूनमबेन माडमः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निराश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रावधानों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समीक्षा की समयावधि क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (घ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) पर लागू होता है और पड़ोस के स्कूल में 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान करने हेतु संबंधित सरकार को अधिदेशित करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, सरकार केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों को आरटीई अधिनियम, 2009 में यथा अधिदेशित समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों को प्रोत्साहित और सहायता कर रही है। शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची और अधिकतम स्कूलों के राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, यह संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने स्कूलों के विषय में इस संबंध में समुचित कदम उठाएं।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम), की धारा 2(14)(iv) देखभाल और जरूरत वाले ऐसे बच्चों (सीएनसीपी) को परिभाषित करता है जिनके अभिभावक नहीं है और कोई उनकी देखभाल करने हेतु कोई इच्छुक नहीं है अथवा जिनके अभिभावकों ने उन्हें त्याग दिया है या उन्हें छोड़ दिया है। अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की होती है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निराश्रित बच्चों सहित सीएनसीपी को सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना (पूर्ववत एकीकृत बाल संरक्षण योजना) कार्यान्वित कर रहा है। सीपीएस योजना के

तहत, पुनर्वास उपाय के रूप में शिशु देखभाल संस्थाओं के माध्यम से सांस्थानिक देखभाल प्रदान की जाती है। योजना के तहत, प्रायोजन सहयोग (शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग आदि) सीएनसीपी को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रदान किया जाता है कि उनकी शिक्षा अबाधित रूप से जारी रह सके। बालगृह में अन्य गतिविधियों के साथ-साथ आयु-अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि शामिल हैं। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सार्वजनिक समन्वय और शिशु विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) ने "उन्नति" योजना के तहत राष्ट्रीय बाल निधि (एनसीएफ) के माध्यम से अध्येतावृत्ति शामिल की है, अद्वितीय प्रदर्शन के साथ कक्षा 9-12 में अध्ययनरत निराश्रित सहित सीसीआई के निवासी बच्चे इस अध्येतावृत्ति को पा सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास निहित है।

*****